न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या– 03/19 तारीख रज्जू–22/03/19

1. उमरदराज पुत्र उमराव खान उम्र 67 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा हाल निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक
2. ताहिरा पुत्री उमराव खान उम्र 66 वर्ष पत्नि जफर खां निवासी पांच बत्ती अलीगंज टोंक।
3. सरफराज पुत्र मो0 सुल्तान उम्र 60 वर्ष जाति मुसलमान निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
4. इमतियाज पुत्र मो0 सुल्तान उम्र 58 वर्ष जाति मुसलमान निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
5. मुस्तकीम खां पुत्र मो0 सुल्तान उम्र 56 वर्ष जाति मुसलमान निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
6. हबीब खां पुत्र मो0 सुल्तान उम्र 48 वर्ष जाति मुसलमान निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
7. फारूख खां पुत्र मो0 सुल्तान उम्र 46 वर्ष जाति मुसलमान निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
8. शाहिद पुत्र मो0 सुल्तान उम्र 44 वर्ष जाति मुसलमान निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
9. मुजीब पुत्र मो0 सुल्तान उम्र 35 वर्ष जाति मुसलमान निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
10. मुजाहिद पुत्र मो0 सुल्तान उम्र 35 वर्ष जाति मुसलमान निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
11. नईमुलिसा पुत्री मो0 सुल्तान उम्र 55 वर्ष जाति मुसलमान निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
12. हबीबबुनिसा पुत्री मो0 सुल्तान उम्र 53 वर्ष जाति मुसलमान निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
13. सईमुनिसा पुत्र मो0 सुल्तान उम्र 51 वर्ष जाति मुसलमान निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

14. हीना रानी पुत्री मो0 सुल्तान उम्र 33 वर्ष जाति मुसलमान निवासी झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)

—अपीलान्टगण

बनाम

1. नूर मोहम्मद पुत्र लल्लू खां जाति मुसलमान निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. इमामुद्दीन पुत्र लल्लू खां जाति मुसलमान निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
3. चन्दोबाई पुत्री लल्लू खां जाति मुसलमान निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
4. अनवर जहां पुत्री लल्लू खां जाति मुसलमान निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
5. सिराज खां पुत्र शमशेर खां जाति मुसलमान निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
6. प्यारे मोहम्मद पुत्र शमशेर खां जाति मुसलमान निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
7. आरिफ खां पुत्र शमशेर खां जाति मुसलमान निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
8. नरगिस पुत्री शमशेर खां जाति मुसलमान निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
9. शकीला पुत्री शमशेर खां जाति मुसलमान निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
10. अक्को पुत्री शमशेर खां जाति मुसलमान निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
11. सायना पुत्री शमशेर खां जाति मुसलमान निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
12. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक— 6.9.19

अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा के निर्णय दिनांक 15/02/19 किस्म मुकदमा नामान्तकरण कार्यवाही अर्न्तगत धारा 135(2) एल0आर0एक्ट बाबत् मृतक लाल खां पुत्र खुदावक्स ग्राम ईसरदा की विरासत का नामान्तकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की है, साथ ही अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथका बरवाड़ा के निर्णय दिनांक 15/02/19 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा विरासत की जांच हेतु अदालत मातहत में सजरा खानदान के अनुसार नामान्तकरण खोलने हेतु निवेदन किया था। लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट की सुनवाई ने कर सजरा खानदान के अनुसार नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया है। सन् 1960 की पहचान पत्र लिस्ट में समस्त वारिसानों का विवरण अंकित है। पहचान पत्र लिंस्ट के क0 सं0 192 पर लाल खां व क0सं0 193 पर लाल खां की पत्नि व कम संख्या 194 पर मां का नाम अंकित है तथा 1960 की पहचान पत्र लिस्ट में रेस्पोडेन्ट के वारिसानों की क0सं0 474 से 478 तक लल्लू पुत्र महताब की ताईद होती है। अपीलांन्ट व रेस्पों0 दोनों ही अलग-अलग मोहल्ले के निवासी है। लाल खां ठिकाना ईसरखा के यहां काम करता था तथा 3 बीधा जमीन अपीलान्ट के वारिसानों के नाम थी तथा जागीदारी में 10 बीघा भूमि अपीलान्ट के वारिसानों को और मिली। अदालत मातहत द्वारा सजरा पर गौर किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। रेस्पोंडेन्ट द्वारा मिलीभगत कर तहसीलदार से गलत निर्णय पारित करवा दिया जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्तनीय है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 15.02.19 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टस् ने दौराने बहस निवेदन किया कि लाल खां पुत्र खुदाबख्श दिनांक 14/12/51 को ही फौत हो चुका था। जबकि जमीन का पंजीयन सन् 1964 में हुआ था। हम इसरदा के रहने वाले है। अपीलान्ट लाल खां के

फौत हो जाने पर सन् 1951 में ही नामान्तकरण तस्दीक करवाने क्यों नहीं आये। तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा पारित आदेश में हल्का पटवारी की जांच के अनुसार लाल खां सन् 1951 में ही फौत हो चुका था। जो ग्राम ईसरदा से निकलकर झिलाई में बस गये थे तथा अदालत मातहत द्वारा मतदाता सूची 1960 व सन् 1971,2009,2014 की पैसनर्स डायरी ,रजिस्टर्ड विकय पत्र ,नामान्तकरण ,नकल जमाबन्दी आदि के अनुसार की उक्त आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 15.02.19 यथावत रखने हेतं निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि ग्राम पंचायत झिलाई द्वारा लाल खां पुत्र खुदाबक्श का सजरा दिनांक 09.09.14 को प्रस्तुत किया है। जिसमें लाल खां की वल्दीयत भी अंकित की हुई है तथा ग्राम पंचायत ईसरदा द्वारा प्रस्तुत सजरा में लाल खां के किसी भी प्रकार की कोई वल्दीयत अंकित नहीं की गई है। जिससे ग्राम पंचायत ईसरदा द्वारा प्रस्तुत सजरा से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त लाल खां के पिता का नाम खुदाबक्श है अथवा नहीं, जबकि ग्राम पंचायत झिलाई द्वारा प्रस्तुत सजरा में वल्दीयत को स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है। जबकि ग्राम पंचायत ईसरदा द्वारा बनाये गये सजरा खानदान में लाल खॉ के पिता के नाम का अंकन नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि अदालत मातहत द्वारा लाल खां पुत्र खुदाबक्श के सही वारिसानों की जांच कर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त प्रकरण अदालत मातहत को पुनःइस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझता हुं कि वह केवल लाल खां के विधिक वारिसान की जांच ना कर लाल खां पुत्र खुदावक्श के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

है मृतक लाल खां के विधिक वारिसान की जांच ना कर लाल खां पुत्र खुदावक्श के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे

निर्णय आज दिनांक 6.9.19. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर